



## दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 16/2015 द्वारा स्थापित)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) 491001

Email: academic@durguniversity.ac.in, Website: www.durguniversity.ac.in, Phone 0788-2359400

क्र. १५७२८/अका. /2018

दुर्ग, दिनांक : २८.३.१८

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की प्रथम बैठक मंगलवार, दिनांक 27.03.2018 अपराह्ण 03.00 बजे टैगोर हॉल में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए।

1.	डॉ. ओ.पी.गुप्ता, कुलपति, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)	— अध्यक्ष
2.	डॉ. श्रद्धा चंद्राकर, प्राचार्य, शहीद कौशल यादव शास. महा. गुण्डरदेही, बालोद	— सदस्य
3.	डॉ. चंद्रिका नाथवानी, प्राध्यापक, शास.दिग्विजय स्नातको. महा. राजनांदगांव	— सदस्य
4.	डॉ. ए.के. मिश्रा, प्राध्यापक, शास. दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उत्तर्इ, दुर्ग	— सदस्य
5.	डॉ. कांती चौबे, प्राध्यापक, शासकीय वि.या.ता. स्नातको. स्व.महाविद्यालय, दुर्ग	— सदस्य
6.	डॉ. अंजना ठाकुर, प्राध्यापक, शास.दिग्विजय स्नातको. महा. राजनांदगांव	— सदस्य
7.	डॉ. के.के. अग्रवाल, प्राध्यापक, डॉ. खूबचंद बघेल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई-३,	— सदस्य
8.	डॉ. शोभा श्रीवास्तव, प्राध्यापक, शासकीय चंदूलाल चंद्राकर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, पाटन, दुर्ग	— सदस्य
9.	डॉ. पूर्णा बोस, प्राध्यापक, शासकीय वि.या.ता. स्नातको. स्व. महाविद्यालय, दुर्ग	— सदस्य
10.	डॉ.एम.ए.सिद्धिकी, प्राध्यापक, शासकीय वि.या.ता. स्नातको. स्व. महाविद्यालय, दुर्ग	— सदस्य
11.	डॉ. अमिता सहगल, प्राध्यापक, शासकीय डॉ. वा.वा. पाटणकर स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	— सदस्य
12.	डॉ. अनुपमा अरथाना, प्राध्यापक, शासकीय वि.या.ता. स्नातको. स्व.महाविद्यालय, दुर्ग	— सदस्य
13.	डॉ. ऋचा ठाकुर, प्राध्यापक, शासकीय डॉ. वा.वा. पाटणकर स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	— सदस्य
14.	डॉ. उषा मोहबे, सहा.प्राध्यापक, शासकीय कमलादेवी राठी कन्या महाविद्यालय, राजनांदगांव	— सदस्य
15.	डॉ. रंजना शर्मा, सहा.प्राध्यापक शासकीय वि.या.ता. स्नातको. स्व.महाविद्यालय, दुर्ग	— सदस्य
16.	डॉ. सुषमा तिवारी, सहा.प्राध्यापक, शासकीय कमलादेवी राठी कन्या महाविद्यालय, राजनांदगांव	— सदस्य
17.	डॉ. एच.एस.अलरेजा, सहा. प्राध्यापक, शास. दिग्विजय स्नातको. महा. राजनांदगांव	— सदस्य
18.	डॉ. एस. पुरकर, सहा. प्राध्यापक कल्याण स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, सेक्टर-७, भिलाई नगर, जिला-दुर्ग	— सदस्य
19.	श्री प्रमोद कुमार यादव, सहा. प्राध्यापक, मनसा कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, कोहका रोड, कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	— सदस्य
20.	डॉ. एस.डी. देशमुख, सहा. प्राध्यापक शासकीय वि.या.ता. स्नातको. स्व.महाविद्यालय, दुर्ग	— सदस्य
21.	डॉ. संध्या अग्रवाल, सहा. प्राध्यापक शासकीय वि.या.ता. स्नातको. स्व. महाविद्यालय, दुर्ग	— सदस्य
22.	डॉ. सुशीला यादव, सहा. प्राध्यापक एवं अध्यक्ष-विधि अध्ययन मंडल) कल्याण विधि महाविद्यालय, सेक्टर-७, भिलाई	— सदस्य

23.	डॉ. रचना चौधरी, सहा. प्राध्यापक, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाई,	—	सदस्य
24.	श्रीमती सौम्या खरे, सहा. प्राध्यापक कल्याण स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, सेक्टर-7, भिलाई नगर, जिला—दुर्ग	—	सदस्य
25.	डॉ. राजेश पाण्डे, प्राचार्य, इंदिरा गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, वैशाली नगर, भिलाई, जिला—दुर्ग	—	सदस्य
26.	डॉ. के.एल.टाण्डेकर (प्राचार्य) शासकीय डॉ. बा.सा.भी.आ. महाविद्यालय, डोंगरगांव, जिला— राजनांदगांव	—	सदस्य
27.	डॉ. बी.एन. मेश्राम, प्राचार्य, शासकीय कमला देवी राठी कन्या महाविद्यालय, राजनांदगांव	—	सदस्य
28.	डॉ. सुमन सिंह बघेल, प्राचार्य, शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव	—	सदस्य
29.	डॉ. किताराम मंडावी , प्राचार्य, शासकीय लाल चक्रधर शाह महाविद्यालय, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव	—	सदस्य
30.	डॉ. अनिल श्रीवास्तव, प्राध्यापक, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग	—	सदस्य
31.	डॉ. आर.एस.सिंह, प्राध्यापक, शासकीय लाल चक्रधर शाह महाविद्यालय, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव	—	सदस्य
32.	डॉ. शकील हुसैन, सहा. प्राध्यापक, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग	—	सदस्य
33.	डॉ. संध्या मदन मोहन, सहा. प्राध्यापक, भिलाई महिला महाविद्यालय, हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई नगर, जिला—दुर्ग	—	सदस्य
34.	श्रीमती चेतना सोनी, सहा. प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय जामगांव (आर) जिला—दुर्ग	—	सदस्य

### सूचनार्थ विषय

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(क) (जिसके अंतर्गत प्रथम कुलपति को कार्यपरिषद और अन्य प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों एवं उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का प्रयोग एवं पालन किये जाने हेतु सञ्चक्त किया गया है) के अनुसार दुर्ग विश्वविद्यालय के गठन से वर्तमान विद्यापरिषद एवं कार्यपरिषद के गठन तक सम्पादित निम्नानुसार कार्यों की सूचना –

### कार्यवृत्त :

- विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित सूचीबद्ध पाठ्यक्रमों को स्थायी संबद्धता प्रदान किये जाने की सूचना।

**निर्णय :-** विद्यापरिषद् द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

- विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2017–18 में प्रारंभ हुए चार नवीन शिक्षा महाविद्यालयों को अस्थायी संबद्धता प्रदान किये जाने की सूचना।

**निर्णय :-** विद्यापरिषद् द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

3. विश्वविद्यालय द्वारा शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में प्रारंभ हुए नवीन विषयों/कक्षाओं को अस्थायी संबद्धता प्रदान किये जाने की सूचना ।

**निर्णय :—** विद्यापरिषद् द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

4. विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 के प्रस्ताव क्रमांक 3 पर लिए गए निर्णय के परिपालन में पुनर्मुल्यांकन संबंधी अध्यादेश 6 (भाग—5, कांडिका 26(3)) में किये गये संशोधन की सूचना ।

**निर्णय :—** विद्यापरिषद् द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

5. विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 के प्रस्ताव क्रमांक 11 पर लिए गए निर्णय के परिपालन में वार्षिक परीक्षा परिणाम में आंतरिक मूल्यांकन के अंक जोड़ने संबंधी प्रावधान को दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा सत्र 2017–18 से लागू किये जाने की सूचना ।

**निर्णय :—** विद्यापरिषद् द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

6. माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) के आदेशानुसार सेंट थॉमस कॉलेज, रुआबांधा, भिलाई, जिला—दुर्ग की छात्रा कु. जॉयसी बी. सैमुअल को एम.ए. (अंग्रेजी) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश देने की अनुमति प्रदान किये जाने की सूचना तथा प्रकरण पर समुचित कार्यवाही हेतु विचारार्थ ।

**निर्णय :—** माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा विभाग उच्चीसगढ़ शासन के प्रवेश नियमों का पालन करते हुए तथा विश्वविद्यालय के परीक्षा संबंधी अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार परीक्षार्थी को कमशः द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के उपरान्त प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाए। द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होने पर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी तथा चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा—परिणाम पूर्व के सभी सेमेस्टर उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही घोषित किया जाएगा। इसे न्यायालय के निर्देशों के अध्याधीन विशेष प्रकरण मानते हुए भविष्य में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

#### अनुमोदनार्थ विषय

7. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित होने वाले नवीन विषय/कक्षा बी.ए बी.एड. एवं बी.एस—सी. बी. एड. के पाठ्यक्रम तथा अध्यादेश का अनुमोदन ।

**निर्णय :—** विद्यापरिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया।

8. शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2017–18 से संचालित होने वाले नवीन विषयों/कक्षाओं को अस्थायी संबद्धता प्रदान किये जाने का कार्योत्तर अनुमोदन ।

**निर्णय :—** विद्यापरिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया।

9. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(2) के तहत विश्वविद्यालय परिनियम 7 के अनुसार विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के गठन हेतु विचार करना।

निर्णय :- नियमानुसार स्थायी समिति के गठन हेतु सहमति प्रदान की गई।


10. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय।

विषय :- शोध कार्य एवं उपाधि संबंधी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुसार शोध उपाधि हेतु प्रक्रिया प्रारंभ किये जाने के लिए संकायवार समितियां गठित करने का निर्णय लिया गया।



कुलपति  
दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)




कुलसचिव  
दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्र. १५७/३८) अका./2018

दुर्ग, दिनांक : २८/०३/१८

प्रतिलिपि:

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-३०, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भन, नया रायपुर।
- विद्यापरिषद के समस्त सम्माननीय सदस्यों को।
- वित्त नियंत्रक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
- कुलपति के सचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।



सहा.कुलसचिव (अका.)  
दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग  
(छ.ग.)